अति-आवश्यक
ईमेल /स्पीड पोस्ट

[फाईल संख्या 9(2) 2016/18वीं केसस/प्रव/भाखासंमाप्रा]
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
(नियामक अनुपालना प्रभाग)
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

दिनांक 17 अक्टूबर, 2016

कार्यवृत्त

विषय: दिनांक 29 सितम्बर, 2016 को आयोजित 18वीं केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में।

दिनांक 29 सितम्बर, 2016 को आयोजित 18वीं केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न– पत्रानुसार

एस.अनूप
सहायक निदेशक, (प्रवर्तन)
Tel: 011—23237435

सेवामें,
संलग्न सूची के अनुसार

[फाईल संख्या 9(2) 2016/18वीं केसस/प्रव/एफएसएसएआई
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
(नियामक अनुपालना प्रभाग]
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

दिनांक 29 सितम्बर, 2016 को आयोजित 18वीं केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की केन्द्रीय सलाहकार समिति की 18वीं बैठक का आयोजन दिनांक 29 सितम्बर, 2016 को इंण्डिया हेबीटेट सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली में किया गया। बैठक में प्रतिभागियों की सूची परिशिष्ट 'क' पर दी गई है।

2. बैठक का प्रारम्भ सभी सदस्यों के स्वागत के साथ किया गया तथा बैठक की कार्यवाही कार्यसूची के अनुसार शुरु की गई।

मद सं. 1

हित का प्रकटन

सदस्यों ने हित की घोषणा का फार्म भरा और प्रस्तुत किया।

मद सं. 2

सीएसी की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सीएसी की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और उसे अंगीकार किया गया।

मद सं. 3

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

1. दिनांक 22.06.2016 को हुई सीएसी की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को नोट किया गया।

कार्यसूची संख्या 18.1

न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेश

1. दुग्ध में मिलावट को रोकने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के समक्ष दुहराया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई ने दुग्ध में मिलावट को रोकने के लिए विशेष एवं आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया।
2. अध्यक्ष, एफएसएसएआई ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में संचालन समिति के कार्यकलापों के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने यह सुझाव दिया कि राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा के मामलों में शामिल होना चाहिए। संचालन समितियों

की बैठकों का आयोजन नियमित रुप से करने के लिए विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा याचिका संख्या एसएलपी (सी) संख्या 16308/2007 दिनांक 23.09.2016 पर दिये गये आदेश पर विचार विमर्श किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 23.09.2016 के आदेश में सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिये हैं कि वे अगली सुनवाई की तिथि से पहले तम्बाकू और/ या निकोटिन के साथ गुटका एवं पान मसाले के उत्पादन एवं बिक्री पर लगाए गये प्रतिबंधों के पूर्ण अनुपालन के बारे में न्यायालय में शपथ पत्र दायर करें। संयुक्त आयुक्त, हरियाणा ने यह सूचित किया कि इस मामले में हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक कम्पनी जो कि 100 प्रतिशत निर्यात करती है के मामले में रोक लगाई हुई है। अध्यक्ष, एफएसएसएआई ने उन्हें निर्देशित किया कि वे इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय से स्पष्टीकरण प्राप्त करें। प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश ने 100 प्रतिशत निर्यात करने वाली ईकाईयों के लाईसेंस के बारे में जानकारी मांगी।

(कार्रवाई- विनयामक अनुपालन/ विधि प्रभाग -माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर (100 प्रतिशत निर्यात करने वाली ईकईयों के लाईसेंस सहित) स्पष्टीकरण जारी करें।)

4. कार्यवृत्त 18.2

राज्यवार स्टॉफ की नियुक्ति, लाईसेंसिंग एवं पंजीकरण की प्रवृत्ति तथा इनका विश्लेषण- भविष्य के लिए योजना

1. राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रवर्तन स्टॉफ को रखने की प्रवृत्ति का विश्लेषण करते समय यह पाया गया कि कुछ राज्यों जैसे झारखण्ड, तमिलनाडू, गोवा, और उत्तर प्रदेश ने विगत तीन वर्षों में इस मामले में कुछ प्रगति की है परन्तु वहीं कुछ राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक, केरला, एवं दिल्ली ने इस मामले में कुछ खास प्रगति नहीं की है और गिरावटका रूख देखा गया। यह सूचित किया गया कि इस संबंध में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा की जा रही कार्रवाई पर निगरानी रखी जाएगी। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्मिकों की नियुक्ति के संबंध में आने वाली कठिनाईयों पर चर्चा करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई ने यह सूचित किया कि एफएसएसएआई में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्रों का आयोजन शुरु किया है और इस संबंध में आने वाली कठिनाईयों के बारे में इन सत्रों में एफएसएसएआई से चर्चा की जा सकती है। यदि इसके अलावा किसी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश को अपनी राज्य सरकारों के साथ इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता एफएसएसएआई की ओर से आयोजित है तो इस मामले एफएसएसएआई को प्रारुप पत्र प्रेषित किया जा सकता है।

(कार्रवाई: राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के द्वारा एफएसएसएआई से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं अभिहित अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में अपनी राज्य सरकारों के साथ किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए प्रारुप पत्र प्रेषित करना)

2. लाईसेंसिंग/पंजीकरण की प्रवृत्ति के साथ-साथ सामान्य सेवा केन्द्रों के द्वारा पंजीकरण में सहायता प्रदान करने के बारे में प्रदर्शन पर भी चर्चा की गई। नागालैण्ड एवं राजस्थान राज्यों में इस बारे में नकारात्मक प्रगति दर्ज की गई। यह ध्यान में लाया गया कि मध्य प्रदेश राज्य में 39 प्रतिशत खाद्य व्यापारकर्ताओं को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया है। इन उत्साहवर्धक परिणामों पर मध्य प्रदेश राज्य से यह अनुरोध किया गया कि वह अपनी लाईसेंसिंग एवं पंजीकरण रणनीति को एफएसएसएआई से साझा करे ताकि एक दिशा-निर्देश दस्तावेज तैयार किया जा सके। हरियाणा राज्य के द्वारा यह सूचित किया गया कि राज्य में सामान्य सेवा केन्द्रों को प्रदर्शन उत्साह जनक है तथा आने वाले महीनों में रजिस्ट्रेशन की संख्या में बढोत्तरी होने की संभावना है।
(कार्रवाई: मध्य प्रदेश राज्य अपनी अपनी लाईसेंसिंग एवं पंजीकरण रणनीति को एफएसएसएआई से साझा करे ताकि एक दिशा-निर्देश दस्तावेज तैयार किया जा सके।)

3. राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में लाईसेंसिंग एवं पंजीकरणों की संख्या में बढोत्तरी करने की रणनीति पर सलाह देते हुए कन्जूयमर ऑनलाईन फाऊन्डेशन के संस्थापक श्री बेजोन मिश्रा ने सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि एफएसएसएआई के लाईसेंसिंग एवं पंजीकरण संख्या की मांग को बढाने के लिए आम उपभोक्ताओं को किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले लाईसेंसिंग एवं पंजीकरण संख्या की जरुरत के बारे में जागरुक करने की आवश्यकता है। इस काम में उपभोक्ता संगठन प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।
4. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यापार का लाईसेंसिंग एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 में संसाधनों के प्रमुख बिन्दुओं पर चर्चा की गई। खाद्य सुरक्षा आयुक्त, छत्तीसगढ ने यह सुझाव दिया कि लाईसेंसिंग एवं पंजीकरण के दो प्रणालियों के स्थान पर एकीकृत प्रणाली को विकसित एंव अपनाया जाए तथा रिटर्न को भी ऑनलाईन जमा करवाया जाए। यहां पर यह ध्यान भी दिलाया गया कि इस संसोधन के प्रमुख बिन्दु केवल प्रारम्भिक प्रारुप मात्र हैं, संशोधित प्रारुप को अलग से राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सुझाव हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। श्री बेजोन मिश्रा के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि खाद्य व्यापारकर्ताओं के लाईसेंसिंग एवं पंजीकरण को आधार से जोडा जा सकता है। सीयूटीएस के श्री जार्ज चेरियन द्वारा सभी का ध्यान इस बिन्दु की ओर आकर्षित किया गया कि कुछ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के द्वारा केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक में भाग नहीं लिया जाता है जिससे कि केन्द्रीय सलाहकार समिति की महत्वता कम होती है। उन्होंने अनुरोध किया कि इस मामले को संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के उच्चतम स्तर पर संज्ञान में लाया जाए। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को उनके राज्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को लागू करने की दिशा में हुई प्रगति एवं आयुक्तों/प्रतिनिधियों की सीएसी बैठक में अनुपस्थिति जिस से कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को लागू करने पर बुरा प्रभाव पडता है के बारे में एक अर्द्ध-सरकारी पत्र प्रेषित किया जाएगा।
(कार्रवाई: विनियामक अनुपालना प्रभाग सभी राज्यों/केन्द्रशासितप्रदेशों के मुख्य सचिवों को उनके राज्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को लागू करने की दिशा में हुई प्रगति, आयुक्तों/प्रतिनिधियों की सीएसी बैठक में अनुपस्थिति एवं अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में प्रत्र

प्रेषित करें।)

कार्यसूची 18.3

निगरानी, प्रर्वतन, निरिक्षण एवं प्रयोगशालाएं

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई ने प्रस्ताव किया कि निगरानी गतिविधियों को सूचारु रुप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण वार्षिक योजना राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के द्वारा बनाई जाने की आवश्यकता है जिसमें यह निर्धारित किया जाए कि निगरानी गतिविधि के लिए एक वर्ष में वस्तु विशेष के कितने नमूने लेने हैं। यह भी सूचित किया गया कि एफएसएसएआई भी विशेष खाद्य वस्तुओं के लिए नमूनाकरण प्रक्रिया पर दिशा-निर्देश दस्तावेज तैयार कर रही है। यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश के द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार किया जाएगा जबकि केरल मसालों एवं मसालों से संबंधित उत्पादों, तमिलनाडू सब्जियों एवं फलों के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगा।
(कार्रवाई: उत्तर प्रदेश दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगा, केरल मसालों एवं मसालों से संबंधित उत्पादों, तमिलनाडू सब्जियों एवं फलों के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगा।

2.खाद्य तेल पर निगरानी के संबंध में सूचित किया गया कि एफएसएसएआई ने विभिन्न खाद्य श्रेणियों पर आन्तरिक समूहों का गठन किया है तथा जल्द ही खाद्य तेल पर एक पेपर जो कि मानक एवं प्रवर्तन दोनों ही भागों पर आधारित होगा को राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

3. साथ ही सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को यह अनुरोध किया गया कि निगरानी नमूनों के आंकडों को प्रवर्तन नमूनों के आंकडों के साथ साझा करें क्यों कि निगरानी को आसानी से प्रवर्तन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है परन्तु इन आंकडों का उपयोग प्रभावी रुप से खाद्य व्यापारकर्ताओं की क्षमता निमार्ण में किया जा सकता है।
4. दुग्ध सर्वेक्षण, 2016 के संबंध में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि वे शीघ्र से शीघ्र इसके लिए नोडल अधिकारी को नामित करें।
(कार्रवाई: यदि पहले नोडल अधिकारी नामित नहीं किया गया है तो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश शीघ्र से शीघ्र दुग्ध सर्वेक्षण, 2016 लिए नोडल अधिकारी को नामित करें।)

5. खाद्य विषाक्तता के मामलों को अधिसूचित करने के लिए के लिए प्रारुप विनियमों को टिप्पणियों एवं सुझाव के लिए प्रस्तुत किया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए किसी भी मामले को अधिसूचित करने की समय सीमा जो कि 24 घण्टे है को स्पष्ट रुप से प्रारुप में परिभाषित किया जाना चाहिए।
यह सुझाव दिया कि सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बजाए जिले के संबंधित अभिहित अधिकारी के पास जानी चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि चिकित्सक से लेकर अभिहित अधिकारी तक सूचना का प्रवाह का माध्यम ऑन-लाईन होना चाहिए।

6 सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को यह अनुरोध किया गया कि प्रयोगशालाओं के सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत जिन प्रयोगशालाओं का उन्नयन वे करवाना चाहते हैं उनके लिए औपचारिक एवं पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित करें।

(कार्रवाई: सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु जिन प्रयोगशालाओं का उन्नयन वे करवाना चाहते हैं के लिए औपचारिक एवं पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित करें।

कार्यवृत्त: 18.4

प्रशिक्षण 8; क्षमता निर्माण

1. मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी, एफएसएसएआई ने एफएसएसएआई की प्रशिक्षण नीति के बारे में केन्द्रीय सलाहकार समिति के सम्मुख संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। इसमें दो प्रकार के प्रशिक्षण शामिल है पहला रिफ्रेशर एवं इन्डक्शन प्रशिक्षण, दूसरा प्रशिक्षण के प्रसार के माध्यम। उन्होंने एफएसएसएआई के द्वारा शुरु किये गये दो नई पहलों के बारे में भी जानकारी प्रदान की जो कि फोस्टेक:खाद्य व्यापार में खाद्य हैण्डलरों एवं पर्यवेक्षकों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं खाद्य की प्रमाणन प्रशिक्षण नीति और फोटेस्ट (खाद्य परीक्षण कार्मिक प्रशिक्षण).इसे नोट किया गया एवं इसकी सराहना भी की गई।

कार्यवृत्त 18.5

खाद्य सुरक्षा शिकायतों का प्रबंधन

1. श्री बिमल कुमार दुबे, निदेशक, (विनियमाक अनुपालन) ने संक्षिप्त रुप से नये खाद्य सुरक्षा शिकायतों के प्रबंधन के लिए नई प्रणाली के बारे में विवरण प्रस्तुत किया एवं राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के अभिहित अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे नई प्रणाली से सामंजस्य बनाएं ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण किया जा सके।

2.शिकायत प्रबंधन पोर्टल पर एक उदाहरण का लाईव प्रदर्शन अगली सीएसी बैठक में दिया जाएगा।

3.इसके साथ-साथ, विधिक मापविद्या विभाग के साथ इसे लिंक करने की संभावनाओं को तलाशने के लिए उपभोक्ता मामलो के विभाग के साथ परामर्श किया जाएगा।

4.समिति को यह भी सूचित किया गया कि पैक पेयजल के लिए एक पोर्टल को भी एफएसएसएआई के द्वारा जल्द ही शुरु किया जाएगा जहां पर उपभोक्ता इस क्षेत्र के खाद्य व्यापारकर्ताओं की प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्टों को देख पाएंगे। खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को यह सलाह दी गई कि वे जांच रिर्पोटों के आंकडों को संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से प्राप्त करें।

कार्यवृत्त 18.6

टेन @ टेन पर ध्यान केन्द्रित करना

1. राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को यह अनुरोध किया गया कि वे अपने अपने राज्यों में आवश्यक पहलों/अभियानों को प्रारम्भ करें तथा इसकी एक कार्ययोजना एफएसएसएआई को भी प्रेषित करें। इस तरह की पहलों को आयोजित करने के लिए मानक संचलान प्रक्रिया (एसओपी) को निश्चित समय सीमा में सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को सूचित किया जाए।

कार्यवृत्त 18.7

मानकों एवं विनियमों की स्थिति एवं संचालन

1. सलाहकार, मानक ने मानकों एवं विनियमों में नवीनतम अद्वयतन के बारे में समिति के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया जिसमें उन्होंने हाल ही में अधिसूचित मानकों एवं विनियमों के बारे में भी संक्षिप्त विवरण दिया। मानकों एवं विनियमों की नवीनतम स्थिति को समिति के सदस्यों ने नोट किया।

कार्यवृत्त 18.8

एफएसएमएस प्रभाग की गतिविधियां

1. निदेशक (एफएसएमएस) ने एफएसएमएस प्रभाग के द्वारा संचालित गतिविधियों के बारे में समिति को अवगत कराया और संक्षिप्त रुप से खाद्य सुरक्षा डिस्पले बोर्ड (एफएसडीबी) के पायलट प्रोजेक्ट, भोजनालयों में सुरक्षित खाद्य परोसें, पूजास्थलों पर सुरक्षित खाद्य परोसें इत्यादि के बारे में समिति के समक्ष विवरण प्रस्तुत किया। इसे समिति के सदस्यों ने नोट किया।

निदेशक, (विनियामक अनुपालना) ने धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया ।

(बिमल कुमार दुबे)
निदेशक, [विनियामक अनुपालना]

(पवन अग्रवाल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई

परिशिष्ट—I

दिनांक 29 सितम्बर, 2016 को इण्डिया हेबीटेट सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली में अयोजित भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की 18वीं केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफएसएसएआई ने सीईओ, एफएसएसएआई एवं अध्यक्ष, सीएसी के अनुरोध पर बैठक में भाग लिया।

सीएसी के सदस्य:-

1. श्री पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एफएसएसएआई-अध्यक्ष सीएसी

राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों से खाद्य सुरक्षा आयुक्त:

2. श्री हेमंत राव, प्रधान सचिव, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर प्रदेश
3. डा. शिप्रा पॉल, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अंडमान एंड निकोबार द्वीपसमूह
4. श्रीमती वरणाली डेका, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, असम
5. श्री पी.वी.नरसिंह रॉव, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, छतीसगढ़
6. डा. मृणालिनी दरश्वाल खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली
7. श्री सलीम वेलजी, निदेशक, एफडीए निदेशालय, गोवा
8. श्री पी.के. सिंह, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मणीपुर
9. श्री राजीव रतन, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हरियाणा
10. श्री रविन्द्र प्रताप सिंह, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, ओडिशा
11. श्रीमती पी. अमुधा, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तमिलनाडू

विभिन्न क्षेत्रों से सदस्य [निजी सदस्य]

12. डा. दीपा भाजकर, 'डी' प्रौद्योगिकी
13. श्री जॉर्ज चैरयन, निदेशक, सी.यू.टी.एस इन्टरनेशनल, जयपुर
14. श्री बी.के. मिश्रा, उपभोक्ता ऑनलाइन फाउन्डेशन
15. सुश्री निरूपमा शर्मा, उप सचिव, पीएचडी चैंबर, विशेष आमंत्रित
16. श्री डी.वी. मलहन, कार्यकारी सचिव, अखिल भारतीय खाद्य प्रोसेसर संघ
17. श्री टी.पी. राजेन्द्रन

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों:

18. श्री के. अनिल कुमार, संयुक्त आयुक्त, केरल
19. डा. अश्विनी देवगंना, सहायक आयुक्त, छत्तीसगढ़
20. डा. नरेन्द्र अहूजा, संयुक्त आयुक्त, हरियाणा
21. श्री चंदशेखर सोलंकी, संयुक्त आयुक्त, महाराष्ट्र

22. डा. एच.एस. शिवकुमार, संयुक्त निदेशक, कर्नाटका
23. श्रीमती कृष्णा मरदी, संयुक्त सचिव, पश्चिम बंगाल
24. श्री प्रमोद कुमार शुक्ला, संयुक्त नियंत्रक, मध्यप्रदेश
25. श्री लालसंमा, खाद्य सुरक्षा, उपायुक्त मिजोरम
26. श्री यू.के. मित्रा, खाद्य सुरक्षा, उपायुक्त अरूणाचंल प्रदेश
27. श्री वी.आर. शाह, खाद्य सुरक्षा, गुजरात
28. श्री आर.एस.रावत, अभिहित अधिकारी, उत्तराखंड
29. श्री सुखविंद्र सिंह, अभिहित अधिकारी, चंडीगढ
30. श्री सुनील कुमार सिंह, अभिहित अधिकारी,मणीपुर
31. श्री अशोक मंगला, अभिहित अधिकारी, हिमाचल प्रदेश
32. डॉ. नरेश कुमार, अभिहित अधिकारी, पंजाब
33. श्री के.यू.मेथेकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र
34. श्री आशीष कुमार गगन, सार्वजनिक विश्लेषक, पंजाब

ख. मंत्रालयों/विभागों से आमंत्रित सदस्यः-

35. श्री पी.वी.रामा शास्त्री, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग
36. श्री आशीष गवई, उप सचिव, स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
37. डॉ.वन्दना त्रिपाठी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, आईएआरआई रिसर्च
38. डॉ.शोभिता कालरा, रिसर्च सहायक, (आईएआरआई)
39. डॉ. अरुण गुप्ता, संयुक्त आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, निदेशक, (स्वास्थय) रेलवे मंत्रालय
40. श्री एस.आर.सेमुअल, संयुक्त विकास आयुक्त, कुटीर, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय।
41. श्री एस.के.पाण्डेय, सहायक निदेशक, कुटीर, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय।
42. श्रीमती सोनिया कोशिक, सहायक प्रबंधक, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय।
43. श्री के.एस पंचपाल, उप सचिव, पंचायती राज मंत्रालय।
44. श्री भास्कर बंदोपाध्याय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग।
45. श्री के. बी. सुब्रमण्यन्, उप सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
46. डॉ. के.के. अरविंदम, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

ग. विशेष आमंत्रित सदस्यः-

47. श्री आई. एन. मूर्ति, वरिष्ठ महाप्रबंधक, एनआईएसजी, हैदराबाद
48. श्रीधर डी, महाप्रबंधक, एनआईएसजी, हैदराबाद

घ. एफएसएसएआई अधिकारी गणः-

49. श्रीमती माधवी दास, मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी
50. श्री कुमार अनिल, सलाहकार (मानक)
51. श्री सुनील बक्शी, सलाहकार [कोडेक्स]
52. श्री बिमल कुमार दुबे, निदेशक (विनियामक अनुपालन)
53. श्री राकेश चन्द्र शर्मा, निदेशक (प्रवर्तन)
54. श्री सुनीति टुटेजा, निदेशक, [एफएसएमएस]
55. श्री राज सिंह, प्रमुख, (सामान्य प्रशासन, विधि एवं राजभाषा)
56. श्री आर के गुप्ता, प्रमुख (गुणता आश्वासन)
57. डॉ. रुबीना शाहीन, निदेशक, (जोखिम मूल्यांकन)
58. श्री तन्मय प्रसाद, सीआईटीओ
59. डॉ. धीर सिंह, उप निदेशक (Standards)
60. श्री अजय तिवारी, उप निदेशक [गुणवत्ता आश्वासन
61. सुश्री प्रिथा घोष, उप निदेशक [प्रशिक्षण]
62. श्रीमती अनीता मखीजानी, उप निदेशक [तकनीक]
63. श्री कार्तिकेयन, सहायक निदेशक [विनियम/कोडेक्स]
64. श्री एस.अनूप, सहायक निदेशक, विनियामक अनुपालना
65. श्री प्रभात कुमार मिश्रा, सहायक निदेशक, विनियामक अनुपालना
66. श्री ए.रस्तोगी, सहायक निदेशक, निगरानी

67. श्रीमती मोनिका पूनिया, सहायक निदेशक, पोषण
68. श्री सुमेर सिंह मीणा, सहायक निदेशक, सामान्य प्रशासन
69. श्री रविन्द्र कुमार, सहायक निदेशक, सामान्य प्रशासन
70.श्री महितोष कुमार, वरिष्ठ खाद्य विश्लेषक, [विनियम]

* किसी भी नाम में कोई भी गलती गैर इरादतन है एवं क्षमा प्रार्थनीय है।

परिशिष्ट - II

बैठक से निकलकर आये कार्रवाई बिन्दु:

बैठक में हुई चर्चा के अनुसार निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्रवाई प्रस्तावित है -

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए:- कार्रवाई

1. राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के द्वारा एफएसएसएआई से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं अभिहित अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में अपनी राज्य सरकारों के साथ किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए पत्र का प्रारूप प्रेषित करना।

2. मध्य प्रदेश राज्य अपनी अपनी लाईसेंसिंग एवं पंजीकरण रणनीति को एफएसएसएआई से साझा करे ताकि एक दिशा-निर्देश दस्तावेज तैयार किया जा सके।)

3. उत्तर प्रदेश दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगा, केरला मसालों एवं मसालों से संबंधित उत्पादों, तमिलनाडू सब्जियों एवं फलों के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगा।

4. यदि पहले नोडल अधिकारी नामित नहीं किया गया है तो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश शीघ्र से शीघ्र दुग्ध सर्वेक्षण, 2016 लिए नोडल अधिकारी को नामित करें।
5. सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु जिन प्रयोगशालाओं का उन्नयन वे करवाना चाहते हैं के लिए औपचारिक एवं पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित करें।

ख. एफएसएसएआई के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई :-

1. विनयामक अनुपालन/ विधि प्रभाग, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर (100 प्रतिशत निर्यात करने वाली ईकाईयों के लाईसेंस सहित) स्पष्टीकरण जारी करें।

2. विनियामक अनुपालना प्रभाग सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को उनके राज्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को लागू करने की दिशा में हुई प्रगति, आयुक्तों/प्रतिनिधियों की सीएसी बैठक में अनुपस्थिति एवं अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में प्रत्र प्रेषित करें।